दरों का विवरण

(इसे एजेंसी के लैटर हैड पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

सीसीआरटी, कार्यालय, प्लॉट नं. 15-ए, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित वस्तुओं की धुलाई (प्रेस सहित) एवं ड्राईक्लीनिंग सर्विसेस हेतु मोहर बंद दरों का विवरण इस प्रकार है :

क्रमांक	वस्तुओं का ब्यौरा-(धुलाई)	धुलाई की दरें प्रति नग (रु. में)	क्रमांक	वस्तुओं का ब्यौरा-(ड्राईक्लन)	ड्राईक्लीन की दरें (रु. में)
1.	बैड़शीट (सिंगल साईज़ सफेद)		1.	खिड़कियों की पट्टीयाँ	/प्रति नग
2.	तकिया कवर		2.	पायदान (डोरमैट)	/प्रति नग
3.	रज़ाई कवर (सिंगल बैड)		3.	टेबल मैट	/प्रति नग
4.	कंबल		4.	रूम कार्पेट	/प्रति वर्ग फुट
5.	पर्दा बड़ा (सिंगल साईज़)		5.	सोफा सेट	/प्रति सीट
6.	पर्दा बड़ा (डबल साईज़)		6.	ऑफिस चेयर्स	/प्रति नग
7.	दरी (बड़ी साईज़)		7.	सोफा गद्दी (Cushion)कवर	/प्रति नग
8.	पर्दा छोटा (सिंगल साईज़)		8.	कुर्सी कवर	/प्रति नग
9.	पर्दा छोटा (डबल साईज़)				
10.	बैडशीट (डबल बैड साईज़)			सभी दरों में समस्त कर शामिल हैं	
11.	रज़ाई कवर (डबल बैड साईज़)				
12.	बाथ टॉवल				
13.	हैंड टॉवल				
14.	तकिया कवर (बड़े)				

निविदाऐं मोहरबंद लिफाफे में निदेशक, सीसीआरटी के नाम में उपरोक्त पते पर दिनांक 01/03/2024 अपराह्न 03.00 बजे तक अवश्य मिल जानी चाहिए।

जमानत राशि का विवरण (Earnest money A/C CCRT New Delhi) के पक्ष में ....

बैंक का नाम ....

कुल राशि रूपये ....

हस्ताक्षर : ....

ठेकेदार का नाम : ....

एजेंसी का नाम व पता : ....
....
....

मोबाईल नं. : ....

Manoj 25/01/24

Narender 25/01/2024

Dy. Director (Admn) 25/1/2024

निविदाकारों के लिए निदेश एवं शर्तें

1. यह करार दिनांक **01/04/2024** से **31/03/2025** तक प्रभावी रहेगा तथा करार की अवधि के बिच दरों में कोई भी परिर्वतन नहीं होगा।
2. धुलाई कार्यों में प्रैस करना भी शामिल होगा।
3. धुलाई करने में नुकशानदायक कैमिकल का प्रयोग निषेध होगा जो कि कपड़ो को नुकसान पहुँचाता हो।
4. निविदाकार द्वारा सीसीआरटी में तीन कार्य दिवस सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार के अतिरिक्त जरूरत अनुसार क्रमशः कपड़ों को लाएगा एवं ले जाएगा।
5. सीसीआरटी, कार्यालय के आकस्मिक धुलाई कार्यों हेतु निविदाकार किसी भी दिन व किसी भी समय बुलाया जा सकता है।
6. बिलों का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा।
7. यदि निविदाकार की ओर से समय पर समुचित एवं संतोषजनक सेवा प्रदान करने में चूक पाई जाती है तो इसके लिए वह जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा और सेवा में चूक के लिए जुर्माना लगाने के लिए सीसीआरटी, कार्यालय का निर्णय अंतिम माना जाएगा ।
8. सफल निविदाकर द्वारा "Earnest Money A/c CCRT, New Delhi" के नाम में **रू. 5,000/- (रुपये पांच हजार मात्र)** की ब्याज रहित राशि का बैंक ड्राफ्ट, जमानत राशि के बतौर जमा करवाई जानी होगी जो कि केन्द्र के पास करार समाप्त होने की अवधि तक जमा रहेगी जो कि करार समाप्ति के पश्चात् महीने भर के अंदर वापिसी की जा सकेगी।
9. सफल निविदिकार की ओर से, असंतोषजनक सेवाऐं पाए जाने के स्थिति में निविदाकार का नाम भविष्य के लिए काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाल दिया जाएगा और जमानत राशि (Security Deposit) को जब्त कर लिया जाएगा।
10. सफल निविदाकर धुलाई संबंधी किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा और उस नुकसान की प्रतिपूर्ति जमानत राशि से की जाएगी।
11. सफल निविदाकार की सेवाऐं संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में निदेशक, सीसीआरटी के पास उक्त करार को किसी भी समय समाप्त (रद्द) करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. करार की अवधि के दौरान यदि सफल निविदाकार की सेवाऐं संतोषजनक पाई जाती है तो पूर्व निर्धारित अनुबंध की शर्तें एवं नियिमों के आधार पर उन्हें समक्ष अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् अगले एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है।
13. निविदाकार को कपड़े धोने का पूर्व अनुभव होना जरूरी है।
14. निदेशक, सीसीआरटी के पास किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
15. धुलाई के लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है। विलंब होने पर बिल में कटौती की जा सकती है।
16. कपड़े धोने के लिए लाने-जाने के लिए गाड़ी का किराया देय नहीं होगा, स्वयं ही वहन करना होगा।
17. मांगी गई दरें समस्त करों सहित मानी जायेंगी।
18. ठेकेदार के चयन के समय सीसीआरटी से 8 कि.मी. परिधि के अन्दर की ऐजन्सी का वरियता दी जायेगी।
19. निविदा के लिफाफे के उपर " **सीसीआरटी के कपड़ों की धुलाई/ड्राई क्लीनिंग हेतु निविदा** "स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।
20. किसी भी प्रकार के विवाद को आपसी बात चीत के माध्यम से सुलझायाजायेगा। यदि 07 दिन के अन्दर विवाद नही सुलझ पाता है तो उसे "Arbitrating and conciliation Act 1996" में किये गये प्रावधानों के अंतर्गत सीसीआरटी द्वारा नियुक्त सोल आर्बीट्रेटर के समक्ष भेजा जाएगा, जिसका स्थान दिल्ली एवं उसका निर्णय अन्तिम होगा एवं दोनो पक्षों को मानने के लिए बाध्य होगा।

(के.एस. लिंगम गेणश)
उपनिदेशक (प्रशासन)

के. शंकर लिंगम गणेश 25/1/2024
Dy. Director (Admn)

Narendra
25/01/2024